"Under jurisdiction of Raigarh Court only"
साउथईस्टर्नकोलफील्ड्सलिमिटेड
SOUTH EASTERN COAL FIELDS LIMITED
एक मिनीरत्नकंपनी-A MINIRATNA COMPANY
CIN: U10102CT1985GOI003161
(A Subsidiary of Coal India Limited)
Regd. Office: SEEPAT ROAD, BILASPUR (CG) 495006
Website: www.secl.gov.in

Office of the Dy.G.M.(Min)/Sub Area Manager
CHHAL SUB AREA, RAIGARH AREA
At/PO: Chhal, Distt: Raigarh
Chhatishgarh PIN -496665
Phone – 07766-277625
Fax .-07766-277629
Email- samchhalrgh@gmail.com

पत्र क्र. : एसईसीएल / राय0 / उ0क्षे0प्र0 / छाल उपक्षेत्र / 2019 / दिनांक /10/2019

आवक क्रमांक 1232 दिनांक 10/10/19 एस.ई.सी.एल. छाल उपक्षेत्र

प्रति,

वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

विषय :– ग्राम बांधापाली के खसरा क्रमांक 410 रकबा 55.850हेक्टेयर को Deemed Forest मानकर वन अनापत्ति प्रकरण के संबंध में।

संदर्भ :– 1. अ.प्र.मु.व.सं.(भू–प्रबंध) रायपुर का पत्र क्रमांक / भू–प्रबंध / खनिज / एल.एम – 331 –259 / 1158 रायपुर दिनांक 13.05.2019.

2. अ.प्र.मु.व.सं.(भू–प्रबंध / व.सं.अ.) छ.ग. / रायपुर का पत्र क्रमांक / भू–प्रबंध / खनिज / 331 –222 / 1114 रायपुर दिनांक 01.05.2019.

3. आपका पत्र क्रमांक / मा.चि. / 2019 / 3287 / धरमजयगढ़, दिनांक 06.09.2019.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत् कथन है कि, छाल खुली खान Seam-III परियोजना (6MTY) हेतु ग्राम बांधापाली के भूमि खसरा क्रमांक 410 रकबा 55.850हेक्टेयर को Deemed Forest मानकर वन अनापत्ति हेतु कहा गया है, जिसके संबंध में एसईसीएल की ओर से किए जाने वाले बिन्दुओं का परिपालन दस्तावेज एतद् द्वारा संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है। साथ ही वन अनापत्ति के संबंध में कलेक्टर की ओर से प्राप्त पत्र एतद् द्वारा संलग्न है।

अतः आपसे निवेदन है कि आपकी ओर से किये जाने वाले परिपालन यथा Tree Counting, Cost Benefit Analysis, CA Scheme एवं उपयुक्तता प्रमाण पत्र आदि को आपके विभाग द्वारा पूर्ण करवा कर प्रकरण को आगे अग्रसर करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

10/10/19

उप महाप्रबंधक(खनन) / उपक्षेत्रीय प्रबंधक
एसईसीएल छाल उपक्षेत्र

प्रतिलिपि :–

1. विभागाध्यक्ष वन, एसईसीएल बिलासपुर।
2. महाप्रबंधक, एसईसीएल रायगढ़ क्षेत्र

"Under jurisdiction of Raigarh Court only"
साउथईस्टर्नकोलफील्ड्सलिमिटेड
SOUTH EASTERN COAL FIELDS LIMITED
एक मिनीरत्नकंपनी-A MINIRATNA COMPANY
CIN: U10102CT1985GOI003161
(A Subsidiary of Coal India Limited)
Regd. Office: SEEPAT ROAD, BILASPUR (CG)
495006
Website: www.secl.gov.in

Office of the Dy.G.M.(Min)/Sub Area Manager
CHHAL SUB AREA, RAIGARH AREA
At/PO: Chhal, Distt: Raigarh
Chhatishgarh PIN -496665
Phone – 07766-277625
Fax .-07766-277629
Email- samchhalrgh@gmail.com

कण्डिका क्र. 28, 34 & 35

28. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ–5–20/2007/10–2 दिनांक 12.01.2010)।
34. वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा) (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/F.No.11-9/1998-FC दिनांक 03.08.2009)।

    ग्राम सभा का ठहराव प्रस्ताव (Resolution) आवश्यक रूप से संलग्न करें।
35. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (कार्यालीन पत्र कमांक भू–प्रबंध/1317 दिनांक 25.05.2007)

वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्तावों हेतु आवश्यक चेक लिस्ट का उपरोक्त कण्ड़िकायों के परिपालन में यह है कि, खसरा कमांक 410 रकबा 55.850 हे. भूमि जो कि शासकीय भूमि मद में दर्ज है, को Deemed Forest मानकर कलेक्टर रायगढ़ से वन अनापत्ति तथा Form – II हेतु आवेदित है, जो प्राप्त होने पर Stage - I अनापत्ति शर्तो का परिपालन के समय प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही वन अनापत्ति के संबंध में वर्तमान में कलेक्टर रायगढ़ की ओर से प्राप्त पत्र एतद् द्वारा संलग्न है।

10/10/19

उप महाप्रबंधक(खनन)/उपक्षेत्रीय प्रबंधक
एसईसीएल छाल उपक्षेत्र
Dy.G.M.(M)/Sub Area Manager
Chhal Sub Area, SECL
Raigarh Area

कार्यालय कलेक्टर(भू–अभिलेख शाखा),जिला रायगढ़ (छ.ग)

क्रमांक / 1228 /भू.अ.लि.. / 2019 रायगढ़ दिनांक ..19/09/.....2019

प्रति,

उप महाप्रबंधक
खनन / उपक्षेत्रिय प्रबंधक
एसईसीएल छाल
जिला रायगढ (छ.ग.)

विषयः– Diversion of forest land for purpose under forest conservation act 1980 propse for chhal opencast III 6 mTY (supplementary proposel for Diversion to Earliar prorosal for Diversion of 55.850 ha. Forest land proposal NO. pf/c.g./MIN/16237/2015)55. 850 ha. Regarding.

संदर्भ :– उप महाप्रबंधक (खनन) / उपक्षेत्रिय प्रबंधक एसईसीएल छाल उपक्षेत्र का पत्र क्रमांक एसईसीएल / आरजीएच / सम / सीएसए / 19 दिनांक 21 / 05 / 2019 I

................00.............

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। प्राप्त पत्र मे छाल खुली खदान फेस III (6 mTY) परियोजना हेतु कुल क्षेत्र 55.850 हे. धरमजयगढ वन मंडल अंतर्गत DEEMEd forest land मानकर उक्त परियोजना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है, किन्तु राजस्व विभाग एवं वन विभाग के संयुक्त स्थल सत्यापन पश्चात आवेदित शासकीय भूमि खसरा नंबर 410 रकबा 55.850 हे. राजस्व अभिलेख मे कृषि अयोग्य मद मे दर्ज है। जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि राजस्व विभाग की भूमि है। जिसे कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदन किया गया है।

19/9/19

अपर कलेक्टर
रायगढ (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

कार्यालय कलेक्टर, भू–अभिलेख शाखा रायगढ़ (छ0ग0)

रायगढ़, दिनांक 01/10/2019

कमांक /1311/भू.अ.लि./2019

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
बिलासपुर वृत्त
बिलासपुर(छ.ग.)

विषयः– Diversion of forest land for non forest purpose forest conservation Act 1980 for Diversion of 185.017 Ha. of forest land for chhal OC seam III 6 MTY project of SECL in Raigarh District of Chhattisgarh–Regarding.
पंजीयन कोड कमांक FP/CG/ MIN/16237/2015

संदर्भः– आपका अर्द्धशासकीय पत्र कमांक 69 बिलासपुर दिनांक 16.9.2019।

––00––

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। प्राप्त पत्र में छाल खुली खदान फेस III 6 (mty) परियोजना हेतु कुल 55.850 हे. धरमजयगढ वन मण्डल अंतर्गत ग्राम बांधापाली मे भूमि स्थित है, जिसे महाप्रबंधक एसईसीएल रायगढ क्षेत्र के द्वारा उनके पत्र कमांक 112 दिनांक 20/05/2019 में Deemed forest मानकर उक्त परियोजना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है, उक्त भूमि का राजस्व एवं वन विभाग के संयुक्त दल द्वारा स्थल सत्यापन एवं जांच कराया गया। संयुक्त दल से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित भूमि खसरा नंबर 410 रकबा 55.850 हे. राजस्व भूमि के अंतर्गत होने एवं अभिलेख में कृषि अयोग्य मद में दर्ज होने के कारण, राजस्व भूमि है। अतः राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

सादर सूचनार्थ।

कलेक्टर
रायगढ़(छ.ग.)

Scanned by CamScanner